बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :–3/अ0प्र0–1–223/2019 250 /पटना, दिनांक :– 9/5/25

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा–2 के पत्रांक 1493 दिनांक 26.09.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री दिनेश कुमार तिवारी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा–2 के विरूद्ध अंचल अधिकारी से जमीन की मापी कर सतत लीज की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दिये गये निदेश की अवहेलना कर बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर रहने, पथों का क्रैश जॉच युद्धस्तर पर किये जाने संबंधी निदेश का अनुपालन नहीं करने एवं नोडल पदाधिकारी, पीएम0जी0एस0वाई0 द्वारा पुल का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने के आदेश का अवहेलना करने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 642 दिनांक 27.02.2020 द्वारा तिवारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. दो बार स्मारित किये जाने के बावजूद श्री तिवारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया। इस बीच श्री तिवारी दिनांक 31.07.2021 को सेवानिवृत हो गये।

3. श्री तिवारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तद्नुरूप कार्यालय आदेश सं0 14 सहपठित ज्ञापांक 618 (अनु0) दिनांक 11.03.2022 द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई एवं इस निमित्त श्री मुकेश श्रीवास्तव, तदेन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 20 अनु0 दिनांक 08.01.2025 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन में श्री तिवारी द्वारा अपने पत्नी के चिकित्सा हेतु मुख्यालय से बाहर रहने, सभी पथों की क्रैश जॉच में सहयोग करने संबंधी आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान एवं इस संबंध में आरोपी के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने तथा पुल का Revised Estimate तैयार करने का मामला दूसरे क्षेत्र का होने के आधार पर श्री तिवारी के विरूद्ध गठित सभी आरोपों आरोप सं0 1,2 एवं 3 को अप्रमाणित माने जाने का मंतव्य/निष्कर्ष अंकित किया गया है।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समग्र समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री तिवारी को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

6. अतः श्री दिनेश कुमार तिवारी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–2 सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

S Kumar 02/5/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–223/2019 5053 /पटना, दिनांकः– 9/5/25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Skumar 02/5/25
अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–1–223/2019 5053 /पटना/दिनांकः– 9/5/25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–2/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री दिनेश कुमार तिवारी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा–2 सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता–ग्राम–सोबई बॉध, हाउस नं0–75B, लैंडमार्क–कृष्णा अटो सर्विस सेंटर के नजदीक, पो0–करनई, थाना–सुखपुरा, जिला–बलिया, उत्तर प्रदेश, पिन–277304 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Skumar 02/5/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–223/2019 5053 /पटना/दिनांकः– 9/5/25

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Skumar 02/5/25
अवर सचिव

20

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in